न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 11/2016 अपील

1. रामप्रसाद पिता बन्ना लाल जाट निवासी भोपालपुरा हाल निवास जहाजपुर जिला भीलवाडा	बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी	– प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले
प्रकरण सं0 589/2015 निर्णय दिनांक 31.08.2015

उपस्थित –
1. श्री राकेश जैन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 07.06.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें प्रकरण सं. 589/2015 निर्णय दिनांक 31.08.2015 के खिलाफ दिनांक 23.02.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जहाजपुर के आराजी नम्बर 7530/6623 रकबा 194.02 बीघा भूमि में से 8 बीघा भूमि पर अवैध रूप से गिट्टी केशर संचालन एवं एक पक्का व कच्चा मकान आदि बना अतिकमण करना बता अपीलार्थी के विरूद्व तहसीलदार जहाजपुर द्वारा आलौच्य निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्व हैं । अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का अतिचार सरकारी भूमि पर नहीं किया गया हैं । सही तथ्य इस प्रकार हैं कि उक्त आराजी नम्बर 7530/6623 रकबा 194.02 बीघा में से 06 बीघा भूमि पर भगवान स्वरूप पिता नाथू लाल मूंदड़ा ने 25–30 वर्ष पूर्व माईनिंग लीज करा गिट्टी केशर प्लांट स्थापित किया एवं उक्त प्लांट पर कच्चे मकान मजदूरों के रहने हेतु बनाये थे । भगवान स्वरूप ने उक्त गिट्टी केशर प्लांट भूपेन्द्र कुमार पिता अभय सिंह चण्डालिया , मु.पो. बिगोद हाल मुकाम जहाजपुर को विक्रय कर दिया जिस पर भूपेन्द्र चण्डालिया ने "नाकोडा ग्रीट मेनीफेक्चर" फर्म के नाम से कई वर्षों तक उक्त प्लांट का संचालन किया , इसके पश्चात् उक्त सम्पूर्ण गिट्टी केशर प्लांट मय लीज व निर्माण सहित भूपेन्द्र चण्डालिया ने अपीलार्थी को जरिये इकरारनामा सन् 1999 में बिकाव कर दिया । उक्त गिट्टी केशर प्लांट की लीज खनन विभाग द्वारा जिस स्थान हेतु दी गयी थी , उसी स्थान पर अपीलार्थी द्वारा गिट्टी केशर प्लांट का संचालन किया जा रहा हैं

। खनिज विभाग द्वारा उक्त गिट्टी केशर प्लांट का खनन पट्टा अपीलार्थी के नाम जारी कर उसका नवीनीकरण किया गया था । अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर गिट्टी केशर प्लांट का संचालन किया जा रहा हैं , उसी स्थान पर खनिज विभाग ने खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन कर सुपुर्द किया । उक्त खनन पटटे का अपीलार्थी के पक्ष में जुलाई 2010 में खनिज अभियन्ता भीलवाडा द्वारा खनन पटटा का 2010 तक के लिए नवीनीकरण उनके पत्र कमांक1/2 के 5222 दिनांक 13.11.2000 को नवीनीकरण किया गया । खनिज कार्यालय खनिज अभियन्ता भीलवाडा के यहां दिनांक 23.10.2014 को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियमों के संशोधन होने से खनन पटटे की अवधि दिनांक 06.01.2000 से 10 वर्ष के स्थान पर दिनांक 06.01.1990 से 30 वर्ष कराने का प्रस्तुत किया जो जैर कार्यवाही हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद आलौच्य निर्णय पारित किया हैं जो निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया एवं अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलार्थी को सुने बिना उक्त निर्णय कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय न तो पटवारी हल्का के बयान ही लिए और न ही अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर ही प्रदान किया । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना मनमकसूद तौर निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य हैं । उक्त वादग्रस्त आराजी नगर पालिका जहाजपुर की सीमा क्षैत्र में स्थित हैं । नगर पालिका सीमा क्षैत्र में धारा 91 एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही तहसीलदार द्वारा कानूनन नहीं की जा सकती हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने सीमा क्षैत्र से परे जाकर आलौच्य निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य हैं । अपीलार्थी को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.02.2016 को हुई, तब अपीलार्थी ने दिनांक 11.02.2016 को नकल हेतु आवेदन किया । नकलें प्राप्त होते ही यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की हैं । विलम्बित अवधि को क्षम्य कराने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आलौच्य निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.02.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये जो दिनांक 14.09.2016 को प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम जहाजपुर के आराजी नम्बर 7530/6623 रकबा 194.02 बीघा में से 06 बीघा भूमि पर भगवान स्वरूप पिता नाथू लाल मूंदड़ा ने 25–30 वर्ष पूर्व माईनिंग लीज करा गिट्टी केशर प्लांट स्थापित किया एवं उक्त प्लांट पर कच्चे मकान मजदूरों के रहने हेतु बनाये थे । भगवान स्वरूप ने उक्त गिट्टी केशर प्लांट भूपेन्द्र कुमार पिता अभय सिंह चण्डालिया , मु.पो. बिगोद हाल मुकाम जहाजपुर को विक्रय कर दिया जिस पर भूपेन्द्र चण्डालिया ने "नाकोडा ग्रीट मेनीफेक्चर" फर्म के

नाम से कई वर्षों तक उक्त प्लांट का संचालन किया , इसके पश्चात् उक्त सम्पूर्ण गिट्टी केशर प्लांट मय लीज व निर्माण सहित भूपेन्द्र चण्डालिया ने अपीलार्थी को जरिये इकरारनामा सन् 1999 में बिकाव कर दिया । उक्त गिट्टी केशर प्लांट की लीज खनन विभाग द्वारा जिस स्थान हेतु दी गयी थी , उसी स्थान पर अपीलार्थी द्वारा गिट्टी केशर प्लांट का संचालन किया जा रहा हैं । खनिज विभाग द्वारा उक्त गिट्टी केशर प्लांट का खनन पट्टा अपीलार्थी के नाम जारी कर उसका नवीनीकरण किया गया था । अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर गिट्टी केशर प्लांट का संचालन किया जा रहा हैं , उसी स्थान पर खनिज विभाग ने खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन कर सुपुर्द किया । उक्त खनन पटटे का अपीलार्थी के पक्ष में जुलाई 2010 में खनिज अभियन्ता भीलवाडा द्वारा खनन पटटा का 2010 तक के लिए नवीनीकरण उनके पत्र कमांक1/2 के 5222 दिनांक 13.11.2000 को नवीनीकरण किया गया । खनिज कार्यालय खनिज अभियन्ता भीलवाडा के यहां दिनांक 23.10.2014 को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियमों के संशोधन होने से खनन पटटे की अवधि दिनांक 06.01. 2000 से 10 वर्ष के स्थान पर दिनांक 06.01.1990 से 30 वर्ष कराने का प्रस्तुत किया जो जैर कार्यवाही हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद आलौच्य निर्णय पारित किया हैं जो निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया एवं अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलार्थी को सुने बिना उक्त निर्णय कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय न तो पटवारी हल्का के बयान ही लिए और न ही अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर ही प्रदान किया । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना मनमकसूद तौर पर निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य हैं । उक्त वादग्रस्त आराजी नगर पालिका जहाजपुर की सीमा क्षैत्र में स्थित हैं । नगर पालिका सीमा क्षैत्र में धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही तहसीलदार द्वारा कानूनन नहीं की जा सकती हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने सीमा क्षैत्र से परे जाकर आलौच्य निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य हैं । अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आलौच्य निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

विपक्षी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम जहाजपुर के आराजी नं. 7530/6623 की किस्म भूमि बंजड़ II 14.10 एवं गे.मु. पहाड़ 179.12 बीघा में से 8 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर गिटटी केशर स्थापित कर ली हैं तथा मजदूरों के निवास हेतु एक पक्का तथा दो कच्चे मकान निर्माण कर लिए हैं। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज हैं । अतिक्रमी को इस हेतु जवाब प्रस्तुत करने के 7 अवसर दिए गए परन्तु अतिक्रमी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया । अतः राजकीय भूमि में बिना विधिपूर्ण अधिकार के अवैध कब्जा करने के फलस्वरूप अपीलार्थी को अतिचारी घोषित कर दिनांक 31.08.2015 को अतिक्रमी के विरूद्व निर्णय पारित किया जो विधि अनुसार हैं ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के

समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम जहाजपुर मगरा के आराजी नं. 7530/6623 किस्म भूमि बंजड़ II 14.10 एवं गे.मु.पहाड़ 179.12 बीघा में से 8 बीघा भूमि पर अवैध अतिकमण कर गिटटी केशर स्थापित कर ली हैं तथा मजदूरों के निवास हेतु एक पक्का तथा दो कच्चे मकान निर्माण कर लिए हैं। बिलानाम राजकीय भूमि में अपीलार्थी द्वारा 8.00 बीघा भूमि पर अतिकमण कर कच्चा, पक्का मकान निर्मित करने पर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 31.08.2015 से अपीलार्थी को विपक्षी को अतिकमणशुदा आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये एवं शास्ति आरोपित की गई। इस आदेश की पालना में पटवारी हल्का जहाजपुर द्वारा अपीलार्थी अतिकमी को बेदखल किया जाकर भूमि तहवील सरकार ली गई । अपीलार्थी ने अपील में यह भी अंकित किया हैं कि खनिज कार्यालय खनिज अभियन्ता भीलवाडा के यहां दिनांक 23.10.2014 को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियमों के संशोधन होने से खनन पटटे की अवधि दिनांक 06.01.2000 से 10 वर्ष के स्थान पर दिनांक 06.01.1990 से 30 वर्ष कराने का प्रस्तुत किया जो जैर कार्यवाही हैं, लेकिन इस बिन्दु की ताईद में अपीलार्थी ने किसी प्रकार के प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। खनिज कार्यालय खनिज अभियन्ता भीलवाडा में जैरकार होने मात्र से अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि में कोई अधिकार नहीं मिल जाते हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत खारिज की जाती हैं। तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 589/2015 निर्णय दिनांक 31.08.2015 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/06/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा